मार्का के दुरुपयोग पर आईएसआई का छापा

चेन्नई। भारतीय मानक ब्यूरो के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों की एक टीम ने आईएसआई मार्क की संदिग्ध दुरुपयोग की गोपनीय सूचना मिलने पर गत दिनों तिरुवल्लूर जिले में प्रवर्तन खोज और जब्ती अभियान चलाया गया। ऑपरेशन के दौरान पोन्नेरी के मेसर्स अक्वा रोची के 20 लीटर के पैकेज बंद पेयजल पर जाली मार्क का ब्रांड लगा था। भारतीय मानक ब्यूरो के अधिनियम 1986 के (धारा 33) के तहत उल्लंघन के विरुद्ध कार्यवाई की जा रही है। अपराध की सजा के लिए अधिकत्तम एक वर्ष का कारावास या रुपए 50,000/- तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। ब्यूरो ने सभी जनता से अनुरोध किया है कि इस तरह मार्का के दुरुपयोग की सूचना मिलने पर वह ईमेल या फोन नं. 044-22542168 पर सूचना दे सकते है। इस प्रकार की सूचनाएँ पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी।

AROUND THE CITY

Packaged water seized

CHENNAI: The Bureau of Indian Standards seized drinking water bottles and bubbletop cans from two different units in Tiruvallur district and Villupuram district After complaints of misuse of bureau's ISI mark, officials recovered 500 ml and 300 ml bottles being sold under the brand name 'Meera' from a unit in Kondalankupam village in Vanur Taluk of Villupuram district. The team also seized 20-litre bubbletops with brand names such as 'Aqua Roche' and 'Rein Aqua' bearing ISI mark at a unit in Kokumedu, Aladu post, Ponneri taluk. Action has been initiated against the offenders under section 33 of Bureau of Indian Standards Act 1986.